न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 73/2017

1 अर्जुनसिंह उर्फ उगमसिंह पुत्र चन्द्रसिंह दत्तक पुत्र देबीसिंह जाति राजपुत निवासी रामपुरा पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल उर्फ सीताराम।
2 गीगाराम उर्फ जगदीश पुत्र श्योलाराम पुत्र जैताराम।
3 बनवारीलाल पुत्र प्रभात पुत्र जैताराम।
4 प्रहलाद पुत्र प्रभात पुत्र जैताराम।
5 हरफुल पुत्र हनुमान (मृत)।
5/1 परमेश्वरी देवी स्त्री हरफुल।
6 गोपाल पुत्र हनुमान (मृत)।
6/1 श्रीमती मोहनी स्त्री गोपाल।
6/2 नन्दा पुत्र गोपाल।
6/3 बिजेन्द्र पुत्र गोपाल।
7 श्रीमती सुवा पत्नी रामसिंह।
8 लक्ष्मण पुत्र रामसिंह।
9 सीताराम पुत्र रामसिंह।
10 रामेश्वर पुत्र देवीसहाय समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी बड़ी तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
11 भैरूसिंह पुत्र प्रेमसिंह पुत्र चन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह।
12 श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्यामसिंह पुत्र प्रेमसिंह पुत्र चन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 श्रीमती चूनकंवर उर्फ चुन्नीकंवर पत्नी हजारीलाल पुत्र चन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह।
14 बहादुर सिंह पुत्र हजारीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह।
15 जस्सुसिंह पुत्र कालूसिंह (मृत)।
15/1 भंवरकंवर स्त्री जस्सुसिंह।
15/2 सन्तोष कंवर पुत्री जस्सुसिंह पत्नी राजुसिंह जाति राजपुत निवासी कालवा तहसील मकराना जिला नागौर।
15/3 बालाकंवर पुत्री जस्सुसिंह स्त्री मानसिंह।
15/4 आनन्द कंवर पुत्री जस्सुसिंह स्त्री शिवसिंह।
16 श्रीमती सदांकवर पत्नी सांवतसिंह पुत्र कालूसिंह।
17 नरेन्द्र सिंह पुत्र सांवतसिंह पुत्र कालूसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण रामपुरा पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
18 लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर बसिलसिले मुकदमा उनवानी अर्जुनसिंह बनाम ओमप्रकाश आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मुकदमा नम्बर 222/2009 बीटी नम्बर 459/2017 अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 43 नियम 1 डी सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह सूण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 18.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 222/2009 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3 के पिता प्रभात व 5 से 10 के पूर्वज हणमान ने विचारण न्यायालय में दावा संख्या 586/1999 बाबत भूमि खसरा नम्बर 875,893,895 तन ग्राम रामपुरा पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से दिनांक 21.10.2000 को दावा डिक्री कर दिया। इस निर्णय की जानकारी दिनांक 11.01.2001 को अपीलांट को होने पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 10 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे के सम्मन की विधिवत् तामील अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 11 लगायत 17 पर नही हुयी वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 10 द्वारा प्रस्तुत दावे के सम्मन लेकर तामील कुनिन्दा एवं न ही रेस्पोडेंट संख्या 11 से 17 के पास गया तामील कुनिन्दा ने तामील फर्जी करवाई है। अपीलांट ने योगेन्द्र सिंह नरूका को कभी भी अधिवक्ता नियुक्त नही किया है। विचारण न्यायालय में श्री नरूका ने धोखा देकर वकालतनामा पेश किया है। विचारण न्यायालय को एक पक्षीय डिक्री निरस्त कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर देना चहिए था। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के अधिवक्ता ने आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र में प्रत्येक पेशी पर आने से मना कर रखा था। इसलिये अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी अधिवक्ता से मिलने पर दिनांक 31.07.2017 को हुई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 2004 पेज 470 (एस.सी), डी.एन.जे. 1998 (एस.सी.) पेज 47, आर.आर.डी. 2019 पेज 148, आर.आर.डी. 2019 पेज 449 एवं आर.आर.डी. 2019 पेज 500 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा नही की जा सकती है। अपील स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपीलांट की तामील स्वंय पर हुई है। दो गवाहो के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा जरिये वकील मूल वाद में उपस्थिति हुई है। श्री योगेन्द्र सिंह नरूका एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है इसके उपरान्त दिनांक 11.10.2000 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.10.2000 के निर्णय व डिक्री के विरूद्व विचारण न्यायालय में दिनांक 14.10.2009 को आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर बाद सुनवाई अपीलांट का आवेदन आदेश 9 नियम 13 खारिज किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपीलांट की तामील स्वंय पर हुई है। दो गवाहो के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा जरिये वकील मूल वाद में उपस्थिति हुई है। श्री योगेन्द्र सिंह नरूका एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है इसके उपरान्त दिनांक 11.10.2000 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

21.10.2000 के निर्णय व डिक्री के विरूद्व विचारण न्यायालय में दिनांक 14.10.2009 को आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर बाद सुनवाई अपीलांट का आवेदन आदेश 9 नियम 13 खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा वाद में जरिये वकील श्री योगेन्द्र सिंह नरूका की उपस्थिति को अस्वीकार किया है किन्तु गलत वकालतनामा पेश करने पर श्री नरूका के विरूद्व कोई विधिक कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत नही किया है। विचाराधीन निर्णय के विरूद्व भी अपीलांट ने प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सदभाविक एवं प्रकरण के प्रति गम्भीर नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने तथ्यों का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज करने में कोई विधिक त्रूटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर